इकाई 4 ब्रिक्सः न्यायपालिका*

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 ब्राजील में न्यायपालिका

4.3 रूस में न्यायपालिका

4.4 भारत में न्यायपालिका

4.5 चीन में न्यायपालिका

4.6 दक्षिण अफ्रीका में न्यायपालिका

4.7 निष्कर्ष

4.8 शब्दावली

4.9 संदर्भ लेख

4.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आपः

- ब्राजील के न्यायिक ढांचे की चर्चा कर सकेंगे;

* डॉ. स्विंदर सिंह, प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, यू. एस. ओ. एल., पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

- रूसी संघ की न्यायिक व्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत में न्यायिक व्यवस्था को उजागर कर सकेंगे;
- चीन की न्यायिक व्यवस्था का वर्णन कर सकेंगे; तथा
- दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक ढांचे की व्याख्या कर सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

न्यायपालिका की उत्पति लैटिन शब्द 'जूडेक्स' से हुई है जिसका अर्थ है 'अनुमान लगाना या न्याय करना'। न्यायपालिका एक राष्ट्र की न्यायिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार की तीन शाखाओं में से न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो देश के कानून की व्याख्या करती है और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। लार्ड ब्रायस ने ठीक ही कहा है कि न्यायिक प्रणाली की दक्षता और स्वतंत्रता से बेहतर सरकार की श्रेष्ठता का कोई परीक्षण नहीं है। सभी देशों में हम सरकारी व्यवस्था और देश की वैचारिक नींव के आधार पर कुछ भिन्नताओं सहित विकसित न्यायिक व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश देशों में न्यायालयों के पदानुक्रमित ढांचे के कुछ रूप मौजूद हैं जो अपील और समीक्षा की प्रणाली को सुविधाजनक बनाते हैं। इस इकाई में हम ब्रिक्स (BRICS) देशों की न्यायिक व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

4.2 ब्राजील में न्यायपालिका

ब्राजील की न्यायपालिका बहुआयामी प्रणाली से युक्त है जो लगभग अमेरिकी न्यायिक प्रणाली की तरह राज्य और संघीय स्तर पर काम करती है। ब्राजील ने अच्छी तरह से

विकसित न्यायिक प्रणाली को अपनाया है, नागरिक कानून परंपराओं के अनुसार, यह प्रणाली मामलों को विभिन्न न्यायालयों में विभाजित करती है। प्रमुख न्यायिक क्षेत्राधिकारों में ब्राजील में न्याय प्रदान के लिए विभिन्न संस्थाएं शामिल हैं, जो हैं :

- सुप्रीमो ट्रिब्यूनल फेडरल (Supremo Tribunal Federal) (न्याय का उच्चतम न्यायालय);
- सुपीरियर ट्रिब्यूनल डी जस्टिसा (Superior Tribunal De Justica) (न्याय का उच्च न्यायालय); और
- ट्रिब्यूनेयर्स रिजनैस फेडेराइस (Tribunairs Regionais Federais) (क्षेत्रीय संघीय न्यायालय)।

इसके अतिरिक्त, श्रम न्यायालय, चुनावी न्यायालय, सैन्य न्यायालय और राज्य, संघीय जिला और क्षेत्रीय न्यायालय भी हैं।

1 सुप्रीमो ट्रिब्यूनल फेडरल(STF) ब्राजील की न्यायिक प्रणाली में उच्चतम न्यायालय प्रमुख है जो मुख्य रूप से संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रश्न या विवाद के मामले में इसकी व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त यह विदेशों से (STF) प्रत्यर्पण (वापसी) और मूल निवासियों से बंदी प्रत्यक्षीकरण का अनुरोध करता है। (STF) में 11 सदस्य (न्यायाधीश) होते हैं, जिन्हें संघीय मंत्रीसभा (सीनेट) के अनुमोदन के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

न्यायाधीशों का चयन 35 से 65 वर्ष की आयु के नागरिकों के बीच से दोषरहित प्रतिष्ठा और श्रेष्ठ कानूनी विशेषज्ञता के साथ किया जाता है।

2 सुपीरियर ट्रिब्यूनल डी जस्टिसा(STJ) जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और मंत्रीसभा (सीनेट) द्वारा अनुमोदित तैंतीस न्यायाधीशों से बना है। (STJ) मुख्य रूप से संघीय कानून की व्याख्या और इन कानूनों की एक समान व्याख्या सुनिश्चित करने से संबंधित है। यह अदालत राज्य के राज्यपालों, क्षेत्रीय संघीय न्यायधीशों, चुनावी और श्रम न्यायालयों के साथ–साथ अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से जुड़े महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों को भी देखती है।

इन दो सर्वोच्च न्यायालयों के अतिरिक्त, संघीय श्रम, चुनावी, सैन्य और राज्य न्यायालय हैं। संघीय न्यायालय उन मामलों से निपटते हैं जिनमें संघ या संघीय सार्वजनिक कंपनिया शामिल हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जो दिवालियापन, कार्य दुर्घटनाओं या अन्य अदालतों द्वारा अंतर्निहित किए गए हैं। श्रम अदालतें नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों, संघर्षों से संबंधित मामलों को देखती हैं। चुनावी न्यायालय ब्राजील में चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार करता हैं, जैसे कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को व्यापक और विनियमित करना। सैन्य न्यायालय सेना में विवादों और अपराधों से संबंधित मामलों से निपटता है और सैन्य न्यायाधीशों से बना होता हैं। इसके अतिरिक्त, इन न्यायालयों के ऊपर न्याय के उच्च न्यायालय और उच्चतम संघीय न्यायालय के अतिरिक्त उच्च श्रम न्यायालय, उच्च चुनावी न्यायालय, उच्च सैन्य न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय है।

प्रत्येक राज्य और संघीय जिले में राज्य न्यायालयों का आयोजन किया जाता है। वे नागरिक और आपराधिक मामलों के संदर्भ में अपीलों से निपटते हैं जो संघीय, श्रम, चुनावी या सैन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

इस प्रकार, सामान्य तौर पर क्षेत्रीय, राज्य और संघीय में अपील के तीन स्तर होते हैं। अदालतों के दो व्यापक समूह हैं – कानूनी न्यायालय या सामान्य न्यायालय जो राज्य, नागरिक और आपराधिक मामलों से संबंधित मामलों से निपटती है और विशेष अदालतों का दूसरा समूह जो सैन्य, चुनावी, श्रम और अन्य विशेष क्षेत्रों से संबंधित है।

4.3 रूस में न्यायपालिका

रूसी संघ की मौजूदा न्यायिक प्रणाली 90 के दशक में किए गए न्यायिक सुधारों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य राज्य में न्यायिक शक्ति को सत्ता की स्वतंत्र शाखा के रूप में प्राप्त करना है। ये प्रयास इस आधार पर आधारित थे कि कानून के नियम पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र और सक्षम कानूनी अदालतों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, रूस के न्यायिक सुधारों को रूसी संघ के संविधान, 1993 में स्थान प्राप्त हुआ। रूसी न्यायिक प्रणाली में संवैधानिक न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकायों के रूप में शामिल हैं। एक तीसरा सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय, जो मध्यस्थता न्यायालय प्रणाली के शीर्ष पर है। एक एकल संविधान न्यायालय है, नियमित अदालत प्रणाली उच्चतम न्यायालय के अधीन है और व्यावसायिक संस्थाओं के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दो या विवादों को हल करने

के लिए मध्यस्थता का न्यायालय है। रूस में असाधारण न्यायालय निषिद्ध हैं तथा रूसी संघ के संविधान में प्रदान की गई अदालतों के माध्यम से ही न्याय दिया जाता है। इसलिए, रूस में न्यायिक शक्ति का प्रयोग संवैधानिक, नागरिक, प्रशासनिक और आपराधिक न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से रूस के संवैधानिक न्यायालयों, सामान्य क्षेत्राधिकार न्यायालयों और मध्यस्थता न्यायालयों द्वारा किया जाता है।

न्यायालयों को आगे विभाजित किया गया है; संघीय न्यायालय और रूस के घटक संस्थाओं का न्यायालय। संघीय न्यायालयों में शामिल है :

- रूसी संघ का संवैधानिक न्यायालय,
- रूस का संवैधानिक न्यायालय,
- रूसी संघ का सर्वोच्च न्यायालय,
- गणराज्यों का सर्वोच्च न्यायालय,
- जिला न्यायालय,
- सैन्य न्यायालय,
- पंच–निर्णय न्यायालय।

1. रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा नामित 19 न्यायाधीश शामिल है; जिन्हें 12 वर्षों के लिए संघीय परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक न्यायालय क्रमशः 10 और 9 न्यायाधीशों वाले दो सदनों से बना है। अध्यक्ष एक सदन

की अध्यक्षता करता है और उपसभापति दूसरे सदन की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष मामलों को सदनों में आवंटित करता है।

जैसा कि नाम से पता चलता है, यह रूस के संविधान से संबंधित मामलों से संबंधित है और विभिन्न स्तरों पर राज्य सत्ता के विभिन्न निकायों के बीच क्षमता के संबंध में विवादों को हल करता है। संवैधानिक न्यायालय का मुख्य कार्य संवैधानिकता से संबंधित प्राथमिक मामलों को हल करना है। यह निम्नलिखित के संवैधानिक मुद्दों के अनुपालन से संबंधित मामलों की जांच करता है :

i) संघीय कानून, राष्ट्रपति के कार्य, परिषद संघ, राज्य ड्यूमा और सरकार;

ii) गणराज्यों के संविधान, चरित्र के साथ कानून और रूसी संघ के संविधान संस्थाओं के अन्य नियामक अधिनियम;

iii) रूसी संघ के राज्य अधिकारियों के बीच समझौते और क्षेत्रों के राज्य अधिकारियों के बीच समझौते;

iv) अंतरराष्ट्रीय समझौते जो लागू नहीं हुए हैं; और

v) नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता के उल्लंघन से संबंधित मुद्दे।

2. रूसी संघ का सर्वोच्च न्यायालय : सामान्य न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों की प्रणाली के शीर्ष पर है। संघीय संविधान कानून के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की

अध्यक्षता में न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 170 है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर छह वर्ष की अवधि के लिए संघीय विधानसभा की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है।

दीवानी, आपराधिक, प्रशासनिक और आर्थिक मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय है। पहले उदाहरण के रूप में यह न्यायालय राष्ट्रपति, रूसी संघ की सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग और संघ के स्तर पर अन्य लोक प्राधिकरणों के कार्यों से संबंधित मामलों को देखता है। यह संघीय अधिकारियों और अन्य निर्वाचक संस्थाओं के बीच आर्थिक और अन्य विवादों से संबंधित मामलों को भी लेता है। दूसरा उदाहरण (अपील) के न्यायालय के रूप में, संघीय उच्चतम न्यायालय रूसी संघ के निर्वाचक संस्थाओं के उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों की कानूनी वैधता को देखता है, और अन्य न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा भी करता है।

तीसरी अवस्था के न्यायालय के रूप में अपील (cassation) के रूप में, उच्चतम न्यायालय निर्वाचक संस्थाओं के क्षेत्रीय उच्चतम न्यायालयों और सैन्य न्यायालयों के सभापति मंडल के निर्णयों की जांच करता है। अंत में, पर्यवेक्षण की अदालत के रूप में, यह विभिन्न आधारों पर न्यायिक कार्यों की समीक्षा कर सकता है, जिसमें मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन, आम जनता के हितों या समान व्याख्या और कानून के आवेदन का उल्लंघन शामिल है। संघीय उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार

क्षेत्र में कुछ विधायी पहल या मसौदा कानूनों के लिए भी प्रस्ताव कर सकता है। यह रूस की कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियों के मुद्दों को भी तय कर सकता है।

रूसी संघ का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित निकायों से बना है – पूर्ण सत्र, राष्ट्रपति, अपीलीय सदन (चैंबर), प्रशासनिक मामलों पर न्यायिक सदन; दीवानी मामलों पर न्यायिक सदन, आपराधिक मामलों पर न्यायिक सदन, आर्थिक विवादों पर न्यायिक सदन, सेना के मामलों पर न्यायिक सदन, और अनुशासन सदन।

पूर्ण सत्र में उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश होते हैं और इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यह न्यायालयों के न्यायिक कार्य के मुद्दों पर स्पष्टीकरण देता है, विधायी पहल के अधिकार के उपयोग के मुद्दों पर निर्णय लेता है और अन्य मुद्दों को हल करता है। निमंत्रण द्वारा, पूर्ण सत्र में राष्ट्रपति, अभियोजक जनरल, न्यायमंत्री, संवैधानिक न्यायालय और अन्य अदालतों के न्यायाधीश भाग ले सकते हैं। पूर्ण सत्र के निर्णय, बहुमत के नियम द्वारा कम से कम दो तिहाई न्यायाधीशों की आवश्यक उपस्थिति में किए जाते हैं।

3. क्षेत्रीय और अन्य न्यायालय (Regional and other Courts) : रूसी संघ के उच्चतम न्यायालय के नीचे क्षेत्रीय न्यायालय हैं, जिनमें रूस के गणराज्यों के उच्चतम न्यायालय, रूस के संघीय शहरों के शहरी न्यायालय (मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग) और स्वायत्त क्षेत्रों के न्यायालय शामिल हैं। इस न्यायालय में प्रथम दृष्टांत और अपीलीय न्यायालयों दोनों के सदस्य होते है।

क्षेत्रीय न्यायालयों के नीचे जिला न्यायालय हैं जो रूस में सामान्य क्षेत्राधिकार के न्यायालयों की प्रणाली के मूल तत्व प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से अधिकांश नागरिक, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों को संभालती हैं इसके अतिरिक्त सैन्य न्यायालय और वाणिज्यिक न्यायालय भी है। सैन्य न्यायालय गढ़ सेना (नगर की रखवाली करने वाली सेना) और सैन्य बेड़े (क्षेत्र) के स्तर पर कार्य करती हैं। वाणिज्यिक न्यायालय वाणिज्यिक और उद्यमशीलता गतिविधियों के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। वाणिज्यिक न्यायालय इन स्तरों पर कार्य करते हैं : आधारभूत/मौलिक न्यायालय (81), अपीलीय न्यायालय (20) और वाणिज्यिक करणीय न्यायालय (10)। वाणिज्यिक न्यायालयों की श्रेणी के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय भी है जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार न्यायालय के रूप में जाना जाता है।

रूसी न्यायालय प्रणाली मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करती है। यह न्यायपालिका की सर्वोच्यता, न्यायिक उन्मुक्ति, न्यायाधीशों की आंतरिक गतिशीलता, कानून की समानता और खुले और निष्पक्ष परीक्षण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एक बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि इन कानूनी न्यायालयों को केवल संघीय बजट से वित्तपोषित किया जाता है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) ब्राजील में शीर्ष (उच्च) – स्तरीय न्यायालयों का गणना कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

2) रूसी न्यायापालिका का पदानुक्रमित ढाँचा क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

4.4 भारत में न्यायपालिका

न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का संरक्षक माना जाता है। भारतीय न्यायपालिका सामान्य कानून प्रणाली का संचालन करती है जिसमें सीमा शुल्क, प्रतिभूतियां और कानून, सभी देश के कानून को संहिताबद्ध करते हैं। भारत में न्यायपालिका, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष

कार्यकारी और विधायी प्रभाव से मुक्त है। भारत की न्यायिक प्रणाली प्राचीन काल में अपनी जड़ें खोजती हैं और स्वतंत्रता से पूर्व अलग–अलग समय के शासकों द्वारा उसे आकार दिया गया है। संविधान को अपनाने के साथ ही वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रणाली की नींव रखी गई, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसे पिरामिड (Pyramid) की तरह संरचित किया गया है यानि ऊपर से नीचे की ओर, और इसे सहायक भागों के साथ तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय (राष्ट्रीय स्तर) पर उच्च न्यायालय (राज्य स्तर) पर है, उसके बाद जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। भारत में निचले न्यायालयों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए जिला और सत्र न्यायालय और महानगर न्यायालय शामिल है, जिला न्यायालय दीवानी मामलों से निपटते हैं और जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में होते हैं। दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायालयों के अंतर्गत उप न्यायालय (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश) और प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय (प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश) मौजूद हैं। जिला स्तर पर आपराधिक मामलों के लिए, सत्र न्यायाधीश के अधीन सत्र न्यायालय मौजूद है। सत्र न्यायालय के अर्न्तगत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) है। सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों/सेक्टरों में बड़ी संख्या में न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं।

1. उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court)

भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। यह 26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। संसद को उच्चतम न्यायालय के संविधान और संगठन को विनियमत करने वाले कानून बनाने की शक्ति/अधिकार है। आरंभ में न्यायाधीशों की संख्या सात थी जिसे 1956 में बढ़ाकर 10 कर दिया गया था और बाद में बढ़ते कार्यभार को पूरा करने के लिए इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश (2019 संशोधन के अनुसार) हैं, संशोधन से पहले उच्चतम न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश सहित 30 न्यायाधीश थे।

(i) *न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)*

मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह के अतिरिक्त अन्य संबंधित अधिकारियों से परामर्श करता है। वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझें। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से अनुच्छेद 127 के तहत कुछ अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुरोध कर

सकने की शक्ति से युक्त हैं, यदि स्थायी न्यायाधीशों की कार्य सहायक साधक संख्या में कमी है।

(ii) *योग्यता (Qualifications)*

अनुच्छेद 124 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए :

1) वह भारत का नागरिक होना चाहिए;

2) क) उसे कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए था; या

   ख) उसे कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में अभ्यास का कार्यानुभव होना चाहिए; या

   ग) वह राष्ट्रपति के विचार में, एक प्रतिष्ठित विधिवेता हो।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के मामले में, आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्टतम न्यायाधीश को उस पद के लिए पदोन्नत किया जाता है।

(iii) *कार्यकाल (Tenure)*

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है और कार्यालय की कोई निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी के भी होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है :

क) 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर; या

ख) राष्ट्रपति को संबोधित लिखित रूप से अपने पद से त्यागपत्र देने पर; या

ग) महाभियोग (दोष रोपण) द्वारा हटाए जाने पर।

संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार, न्यायाधीशों को केवल हटाने के नियमों के समुच्चय द्वारा हटाया जा सकता है (राष्ट्रपति और संसद हटाने की प्रक्रिया में शामिल है) वह भी केवल दो आधारों पर अर्थात दुराचार प्रमाणित होन पर और 'अक्षमता' के आधार पर। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायाधीशों को आसानी से नहीं हटाया जाए, कुछ जटिल विधि निर्धारित की गई है, जिससे 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' सुनिश्चित हो सके। उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को एक बार नियुक्त करने के बाद कार्यकारी आदेशों द्वारा हटाया नहीं जा सकता है।

(iv) *उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction of Supreme Court)*

उच्चतम न्यायालय, भारतीय न्यायपालिका की शीर्ष (उच्च) संस्था के रूप में, हमारे संघीय ढांचे के साथ–साथ संविधान के तहत प्रदान किए नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह सार्वजनिक कानून के अंतिम दुभाषिऐं (Interpreter) के रूप में कार्य करता है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन

करता है। उपर्युक्त भूमिका निभाने के लिए, उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों से संपन्न है :

क) ***मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)*** : किसी न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में वे मामले शामिल होते हैं जो प्रत्यक्ष उसके पास आते हैं या जहां अकेले उसके पास मामलों की सुनवाई करने का अधिकार होता है, उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं :

- भारत की संयुक्त सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद,
- संयुक्त सरकार और एक राज्य सरकार के बीच विवाद या एक तरफ अधिक राज्य और दूसरी तरफ अन्य राज्य,
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के पास अंतर–राज्य, नदी या जल विवादों पर अधिकार नहीं है।

ख) ***अपीलीय क्षेत्राधिकार (Applellate Jurisdiction)*** : उच्चतम न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, यह सभी दीवानी, आपराधिक या अन्य मामलों में राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश या अंतिम आदेश की अपील को सुनता है। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

v) ***अपील की विशेष अनुमति (Special Leave to Appeal)*** – उच्चतम न्यायालय के पास भी किसी भी निर्णय के विरूद्ध अपील करने की विशेष अनुमति देने की शक्ति है। इसका अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय उन मामलों की भी सुनवाई कर सकता है, जहां उच्च न्यायालय अपील करने का अधिकार नहीं देता है। जबकि संविधान अनुच्छेद 132 से 134 में उच्च न्यायालयों के निर्णयों से उच्चतम न्यायालय में नियमित अपील करने का प्रावधान करता है, फिर भी कुछ मामले ऐसे रह सकते हैं जहां न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

vi) ***सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)*** – राष्ट्रपति को कानून या सार्वजनिक या लोक महत्व के तथ्य के प्रश्न पर उसे संदर्भित कुछ मामलों पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति पूछने का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी मामले पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति की आवश्यकता हैं, तो वह मामले को उसके पास भेजता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई सम्मति सरकार पर बाध्यकारी नहीं है और सम्मति निर्णय के रूप में निष्पादन योग्न नहीं है।

vii) ***परमादेश क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction)*** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक परमादेश (रिट) याचिका दायर की जा सकती है जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उस पर विचार कर

सकती है। रिट क्षेत्राधिकार को कभी–कभी मूल क्षेत्राधिकार के रूप में माना जाता है क्योंकि पीड़ित को उच्चत न्यायालय के माध्यम से आने की अपेक्षा सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। फिर भी इसे एक अलग क्षेत्राधिकार माना जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में विवाद संघ की इकाइयों के बीच नहीं बल्कि पीड़ित व्यक्ति और सरकार या उसकी किसी एजेंसी के बीच होता है।

viii) अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति (Power to Review its Own Dicisions) – हालांकि उच्चतम न्यायालय अंतिम न्यायिक प्राधिकारी है लेकिन उसके पास अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा या संशोधन करने की शक्ति है। ऐसी चीजों की जरूरत स्थितियों में बदलाव या परिस्थितियों में बदलाव से पैदा होती है।

ix) अभिलेख (रिकॉर्ड) न्यायालय के रूप में (As a Court of Record) – संविधान उच्चतम न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' बनाता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ एक ऐसा न्यायालय है जिसके पास हमेशा के लिए अनुस्मरण और साक्ष्य के लिए रिकार्ड रखे जाते हैं। इसके सभी निर्णय उदाहरण के तौर पर लिए जाते हैं और साक्ष्य के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके पास अपनी अवमानना के लिए दंड देने की असाधारण शक्ति है।

x) ***न्यायिक समीक्षा की शक्ति (Power of Judicial Review)*** – उच्चतम न्यायालय के पास संयुक्त संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है। यह किसी भी कानून को अशक्त और शून्य घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यदि कानून का एक हिस्सा असंवैधानिक है, तो न्यायालय उस सीमा तक कानून या उसके एक भाग को अमान्य कर सकता है।

xi) ***विविध शक्तियाँ (Miscellaneous Powers)*** – न्यायालय के पास व्यक्तियों, कागजात या किसी जानकारी या जांच रिपोर्ट आदि को माँगने की शक्ति है। यह अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण शक्ति का भी प्रयोग करता है। राष्ट्रपति की अनुमति से यह न्यायालय के कार्यों और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए बना सकता है। इसके पास न्यायालय में कुछ अधिकारों को नियुक्त करने की शक्ति भी है।

2. उच्च न्यायालय (High Courts)

एक उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर स्थित होता है, भले ही यह भारत के उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता वाली एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली का एक भाग है। संविधान सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। संसद, कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। यह एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केंद्र

शासित प्रदेश तक बढ़ा सकता है या ऐसे क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकता है। पंजाब–हरियाणा और असम–मेघालय राज्यों के उच्च न्यायालय समान हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया गया है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।

(i) संरचना (Composition)

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य होते हैं। समय–समय पर राष्ट्रपति न्यायाधीश निर्धारित कर सकते हैं। चूंकि, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए विभिन्न उच्च न्यायालयों की संख्या में भिन्नता है। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, जबकि सिक्किम उच्च न्यायालय के लिए केवल तीन न्यायाधीश हैं।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

(ii) योग्यता (Qualifications)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए :

1) वह भारत का नागरिक होना चाहिए;

2) उसने कम से कम दस वर्षों के लिए भारत का न्यायिक पद धारण किया हो; या

3) वह कम से कम दस वर्षों के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता (वकील) होना चाहिए।

उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, स्थायी, अतिरिक्त या कार्यवाहक, निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से अपना पद खाली कर सकता है।

i) न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है;

ii) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है या राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है; और

iii) उसे हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा एक अभिभाषण प्रस्तुत किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उसे सेवा से हटाया जा सकता हैं। ऐसा अभिभाषण प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत, उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय से भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श द्वारा दूसरे न्यायालय स्थानांतरित किया जा सकता है। एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय से सेवानिवृत होने के बाद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकील के रूप में प्रस्तुत नहीं हो सकता है, जिसमें वह एक न्यायाधीश रहा हो।

(iii) उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

यह राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के समान है, लेकिन संसद, कानून द्वारा, अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है।

(i) **साधारण क्षेत्राधिकार (Ordinary Jurisdiction)** – संविधान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट नहीं करता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के मामले में किया गया है। उन्हें वह क्षेत्राधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिसका वे संविधान के प्रारंभ से पूर्व प्रयोग कर रहे थे।

(ii) **मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)** – उच्च न्यायालय के पास नावधिकरण, मृत लेख का प्रमाण (प्रोबेट), विवाह और न्यायालय मामलों की अवमानना के मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है।

(iii) **अपीलीय क्षेत्राधिकर (The Appellate Jurisdiction)** – इसका विस्तार दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों तक है। दीवानी मामलों में यह पहली

अपील या दूसरी अपील हो सकती है। प्रथम अपील जिला न्यायालय के विरूद्ध है। यह तथ्य के साथ–साथ कानून के प्रश्न पर प्रत्यक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष निहित है। जब उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय से अपील का निर्णय करता है, तो निम्न न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील की जा सकती है। ऐसी अपील कानून और प्रक्रिया के प्रश्न पर की जाती है न कि तथ्य के प्रश्नों पर।

उच्च न्यायालय का आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित निर्णय के विरूद्ध अपीलों में निहित है :

क) जहां सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 7 वर्ष से अधिक कारवास की सजा दी हो। यदि सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु की सजा दी है, तो उसे उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए;

ख) सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक 'छोटे' मामलों के अतिरिक्त कुछ निर्दिष्ट मामलों में मजिस्ट्रेट; और

ग) एक अभिलेख न्यायालय के रूप में (As a court of record) – उच्चतम न्यायालय की तरह यह भी अभिलेख न्यायालय है।

भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों का वेतन और प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है, इसलिए संसद द्वारा इस पर मतदान नहीं किया जाता है।

4.5 चीन में न्यायपालिका

चीनी जनवादी गणराज्य (पी आर सी) (**People's Republic of China-PRC**) की कानूनी प्रणाली को सरकार द्वारा 'समाजवादी कानूनी प्रणाली' के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे 'जनता की न्यायालय प्रणाली' भी कहा जाता है। पीआरसी का संविधान देश का सर्वोच्च/उच्चतम कानून है। चीन में न्यायालय व्यक्तिगत न्याय प्रदान करने की अपेक्षा लोगों के न्याय अर्थात लोगों की समाजवादी आकांक्षाओं के हित में न्याय करती हैं। पीआरसी के न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा की सामान्य शक्ति नहीं है, हालांकि, पीआरसी के प्रशासनिक प्रक्रिया कानून के तहत उनके पास किसी विशिष्ट अधिनियम या उसके खंड को अमान्य करने का अधिकार है। चीन के पास कोई सामान्य कानून नहीं है, इसके बदले में, उसके पास नागरिक कानून प्रणाली है जिसमें कानून शामिल हैं और विधि मामले शामिल नहीं है जिसका अर्थ है कि न्यायालय विधि का मामला नहीं हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अनुसार, चीन की न्यायपालिका विभिन्न आंतरिक और बाहरी नियंत्रणों के अधीन है जो स्वतंत्र निर्णय निर्माण की उसकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करती है। चीनी न्यायिक भवन अधिकारियों, समितियों, निर्णय लेने की श्रृंखला और अनुमोदन प्रक्रियाओं की परत दर परत एक भीड़–भाड़ वाला स्थान है। न्यायालयी निर्णयों के बारे में व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया

है कि 'मामले को सुनने वाले इसका निर्णय नहीं करते और मामले का निर्णय करने वाले इसे सुनते नहीं'। उदाहरण के लिए, एक न्यायाधीश अपने निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करता है, प्रायः यह न्यायालय के उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। चीन की साम्यवादी पार्टी की ओर से कार्यवाही की निगरानी के लिए राजनीतिक कानूनी समितियाँ एक न्यायाधीश या न्यायाधीशों के पैनल के पीछे स्थित होती है।

1979 के संविधान और जनता का न्यायालय संगठित कानून (1983 में संशोधित) के अनुसार चीन में न्यायिक अधिकारियों के चार स्तर हैं। ये चार स्तर हैं :

- साधारण जनसमुदाय या आधारभूत जन न्यायालय : 3140
- मध्यवर्ती जन न्यायालय : 409
- उच्चतर जन न्यायालय : 32
- उच्चतम जन न्यायालय : 1

आमतौर पर, प्रत्येक न्यायालय के भीतर कई विभाग होते है, जैसे दीवानी, आपराधिक, आर्थिक, प्रवर्तन और प्रशासनिक। प्रत्येक न्यायालय में एक अध्यक्ष और कई उपाध्यक्ष होत हैं। सैन्य, रेलवे, समुद्री और वानिकी के क्षेत्रों में भी विशेष न्यायालय है।

1. उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court)

चीन में उच्चतम न्यायालय बीजिंग में स्थित है, जिसे उच्चतम जन न्यायालय के रूप में जाना जाता है। यह एक अध्यक्ष, सदस्यों (न्यायाधीशों) और इसकी स्थायी समिति से

बना है। उच्चतम जन न्यायालय के अध्यक्ष को राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। उच्चतम जन न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 650 से अधिक है, जिसमें स्थायी सदस्य के रूप में पचास प्रतिशत से अधिक न्यायाधीश शामिल है। स्थायी समिति उपाध्यक्षों, विभाग के अध्यक्षों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। उच्चतम जन न्यायालय दीवानी, आपराधिक, आर्थिक और प्रशासनिक जैसे विभिन्न विभागों या न्यायालयों के माध्यम से कार्य करता है। यह उच्चतम न्यायिक संस्था, राष्ट्रीय जनता कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति के लिए जिम्मेदार है। संविधान और विधियों के अनुसार, उच्चतम जन न्यायालय निम्नलिखित कार्य करता है।

i) उन मामलों को हल करने का प्रयत्न करना जिनका चीन में सबसे अधिक प्रभाव है, उच्च न्यायालयों (अपील क्षेत्राधिकार) के कानूनी निर्णयों के विरूद्ध अपील की सुनवाई करना और मूल अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायालय के रूप में कार्य करना;

ii) इसकी दूसरी जिम्मेदारी विशेष न्यायालयों सहित अन्य सभी न्यायालयों के कामकाज की निगरानी करना, न्यायालयों द्वारा किए गए संदिग्ध निर्णयों को खारिज करना या उनके निर्णयों की समीक्षा करना है; और

iii) तीसरा, कानूनों की व्याख्या करना उच्चतम जन न्यायालय का कार्य है।

2. उच्च जन न्यायालय (The Higher Peole's Courts-HPC)

उच्च जन न्यायालय (द हायर पीपुल्स कोर्ट) प्रत्यक्ष केंद्र सरकार के नियंत्रण में प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों, नगर पालिकाओं के लिए बनाए गए है। न्यायालय की आंतरिक संरचना (HPC) लगभग उच्चतम जन न्यायालय (SPC) की संरचना के समान है। HPC के पास अपीलीय और मूल अधिकार क्षेत्र दोनों हैं।

3. मध्यवर्ती जन न्यायालय (The Intermediate People's Court-IPC)

ये न्यायालय प्रांतीय स्तर पर और सीधे प्रांतों और केंद्र सरकार के अधीन शहरों और जिलों में राजधानियों या प्रांतों के लिए स्थापित की जाती है। IPC में अपीलीय और भौतिक दोनों क्षेत्राधिकार भी हैं। इन न्यायालयों के कार्य और शक्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में आती है :

i) मूल अधिकार क्षेत्र या कानून के तहत पहली सुनवाई के मामले। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं, आपराधिक मामले जिनमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो सकता है, विदेशियों से जुड़े अपराध, और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मामले। ये अदालतें राज्य परिषद विभागों या प्रांतीय सरकारों द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई के विरूद्ध एकस्व (पेंटेट) अधिकार, सीमा शुल्क, मुकदमों के सत्यापन से संबंधित मामलों को लेने के लिए भी अधिकृत हैं;

ii) साधारण जनसमुदाय न्यायालयों द्वारा हस्तांतरित प्रथम सुनवाई के मामले;

iii) अपने अधिकार क्षेत्र में निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरूद्ध अपीलों को स्वीकार करना और उन पर कार्रवाई करना; और

iv) निम्न न्यायालयों के कामकाज पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनका मार्गदर्शन करना।

बहुत गंभीर प्रकृति के मामलों को किसी भी मध्यवर्ती न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय प्रांतीय स्तर (स्वायत्त क्षेत्रों और नगर पालिकाओं) पर कार्य करते हैं। वे इससे संबंधित मामले उठाते हैं :

i) उनके अधिकार क्षेत्र के तहत बड़े अनुपात के मामले, मामले दीवानी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रकृति के हो सकते हैं;

ii) पहली सुनवाई – जैसा कि निम्न न्यायालयों द्वारा स्थानांतरित किया गया है;

iii) अपीलीय प्रकृति – निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपील;

iv) परीक्षण – निगरानी प्रक्रियाओं के अनुसार विरोध किए गए मामले (जैसा कि अभियोजकों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो);

v) मध्यवर्ती न्यायालयों द्वारा प्रथम सुनवाई के मामलों के नियमों की समीक्षा करना जिसमें मृत्युदंड शामिल है; और

vi) इन न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों को निम्न न्यायालयों के कामकाजों की निगरानी और किसी भी प्रकार की त्रुटि वाले मामलों की पुनः जांच करने की शक्ति है।

4. स्थानीय लोगों के न्यायालय (The Local Peoples Courts-LPC)

स्थानीय लोक न्यायालय – जमीनी स्तर पर, मध्यवर्ती और उच्चतर, विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं। 'न्यायालयों के संगठन पर जन कानून' के अनुसार जमीनी स्तर के न्यायालयों के अधिकरण होते हैं और वे प्रदेशों, शहरों या प्रशासनिक जिलों में काम करते हैं। ये आधारभूत न्यायालय दीवानी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार हैं – अधिकतर पहली सुनवाई के न्यायालयों के रूप में वे कुछ नागरिक विवादों और दुष्कर्मों (दुर्व्यवहारों) को भी संभालते हैं जिन्हें परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ये न्यायालय जन मध्यस्थता समितियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन भी करते हैं और कानूनों तथा नियमों के संबंध में जनसंपर्क कार्य भी करते है।

5. विशेष न्यायालय (The Special Courst)

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, चीन में कुछ विशेष न्यायालय हैं जो मुख्य रूप से सैन्य, समुद्री और रेलवे के लिए हैं। सैन्य न्यायालय भी तीन स्तरों पर कार्य करते हैं – जमीनी स्तर, क्षेत्रीय स्तर और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) जो उच्चतम सैन्य न्यायालय हैं। जमीनी न्यायालय सेनाओं में नौसेना, वायु सेना में क्षेत्र स्तर पर कार्य

करने वाले अधिकरण की तरह होते हैं। मध्यवर्ती या क्षेत्रीय स्तर पर न्यायालय होते हैं जो जन न्यायालय की तरह होते हैं जिनका मूल अधिकार क्षेत्र होता है, मौत की सजा से संबंधित मामलों की सुनवाई और अपीलीय क्षेत्राधिकार।

समुद्री न्यायालयों की स्थापना प्रथम समुद्री या समुद्री नौवहन मामलों की सुनवाई के लिए की जाती है। समुद्री मामलों को समुद्री यातना और विवादों की दस श्रेणियों, वाणिज्यिक मामलों की चौदह श्रेणियों, समुद्री प्रवर्तन की पांच श्रेणियों और जहाजों के संरक्षण और हिरासत को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

रेलवे से संबंधित मामलों को अपराधों, विवादों और रेलवे के संरक्षण से निपटने के लिए स्थापित अधिकरण (ट्रिबुनल) में लिया जाता है। रेलवे से संबंधित सभी मामलों को बारह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

चीन की न्यायिक प्रणाली कई उप–प्रणालियों का प्रतिफल है, लेकिन सबसे आम है जन न्यायालय, जनता का अभियोक्ता प्रणाली और जन सुरक्षा प्रणाली। चीनी जनता के अभियोक्ता कानूनी पर्यवेक्षण के लिए राज्य का अंग है जबकि सार्वजनिक प्रतिभूति जांच और साक्ष्य एकत्र करने के लिए है।

4.6 दक्षिण अफ्रीका में न्यायपालिका

दक्षिण अफ्रीकी न्यायपालिका (SA) सरकार की एक स्वतंत्र शाखा है, जो केवल दक्षिण अफ्रीका के संविधान और देश के कानूनों के अधीन है। संविधान का अध्याय VIII

अदालतों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और देश में न्यायिक प्रणाली की संरचना का विस्तृत उल्लेख भी करता है। दक्षिण अफ्रीका में न्यायिक अधिकार एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली के माध्यम से न्यायालयों में निहित है और दक्षिण अफ्रीका संविधान की धारा 166 के अनुसार निम्नलिखित न्यायालय हैं –

- संवैधानिक न्यायालय,
- अपील का उच्चतम न्यायालय,
- उच्च न्यायालय (अपील के उच्च न्यायालयों सहित),
- संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालय और
- कई अन्य न्यायालय।

1. संवैधानिक न्यायालय (The Constitutional Court)

जैसाकि नाम से पता चलता है, संवैधानिक न्यायालय सीधे दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक मामलों से संबंधित है। गणतंत्र के संविधान की धारा 167 के अनुसार, इस न्यायालय को सरकारों की बुनियादी शाखाओं द्वारा शक्तियों और संवैधानिक स्थिति से संबंधित मामलों को लेने में विशेष अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। निम्नलिखित के संबंध में इसका विशेष क्षेत्राधिकार है :

i) सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों और शाखाओं की शक्तियों और स्थिति के बारे में विवादों को उठाना और तय करना;

ii) राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों पर विशेष रूप से उनकी संवैधानिक स्थिति, कार्यों आदि के संबंध में, संस्थाओं के बीच मुद्दों और विवादों को देखना;

iii) कुछ विधायी विधेयकों की संवैधानिकता के बारे में निर्णय लेना;

iv) संविधान में संशोधन से संबंधित मुद्दे; और

v) प्रदर्शन की कमी, संसद या राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता से संबंधित मुद्दों को उठाना।

न्यायालय सबूत नहीं सुनता है या गवाहों से प्रश्न नहीं करता है, यह केवल मूल न्यायालय में सुने गए सबूतों के रिकॉर्ड पर विचार करता है।

2. अपीलीय उच्चतम न्यायालय (The Supreme Court of Appeal)

उच्चतम न्यायालय संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों से निपटने वाला उच्चतम न्यायालय है। जैसा कि, शीर्षक से पता चलता है, यह मुख्य रूप से उन मामलों से संबंधित है जो उच्च न्यायालयों से उस तक पहुंचते है। अपील के उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यायाधीशों की संख्या होती है। न्यायालय के निर्णय आमतौर पर कई न्यायपीठ और बहुमत के नियम से होते हैं। संवैधानिक न्यायालय को छोड़कर कोई अन्य न्यायालय अपील के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द नहीं कर सकता है। अपील का उच्चतम न्यायालय संसद के अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम

या राष्ट्रपति के किसी भी आचरण की संवैधानिक वैधता से संबंधित आदेश दे सकता है लेकिन ऐसे आदेश की संवैधानिक न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। हालांकि, अपील का उच्चतम न्यायालय भी अपने स्वयं के निर्णयों में संशोधन कर सकता है।

3. उच्च न्यायालय (The High Courts)

उच्च न्यायालय अधिकतर प्रांतीय स्तर (मंडल) और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेष क्षेत्रों में काम करते हैं। उच्च न्यायालय विभाग में एक न्यायाधीश अध्यक्ष, एक या एक से अधिक उप न्यायाधीशों के अध्यक्ष और कई अन्य न्यायाधीश होते हैं जैसा कि संसद के अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। उच्च न्यायालय संवैधानिक मामलों और किसी भी अन्य मामलों को उठाते हैं जो राष्ट्रीय कानून द्वारा संवैधानिक न्यायालयों या किसी अन्य न्यायालय को नहीं सौंपे जाते हैं। उच्च न्यायालयों में संसद के अधिनियम के अनुसार निम्न न्यायालयों या अन्य न्यायालयों से अपील सुनने के लिए अपील का कोई उच्च न्यायालय भी शामिल हो सकता है। एक उच्च न्यायालय का अपने क्षेत्र में उस क्षेत्र के निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होता है। उच्च न्यायालय गंभीर प्रकृति के मामलों की सुनवाई करता है जिसमें निम्न न्यायालय निर्णय लेने में अयोग्य होते हैं।

सामान्य प्रकृति या विशेष क्षेत्रों जैसे श्रम, भूमि, चुनावों आदि के विभिन्न क्षेत्रों में तेरह उच्च न्यायालय हैं।

4. न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) का न्यायालय (Magistrates Courts)

अगली पंक्ति में मजिस्ट्रेट न्यायालय है जिसे निम्न न्यायालय कहते हैं यह कम गंभीर प्रकृति के आपराधिक और दीवानी मामलों को उठाती है। इन न्यायालयों को क्षेत्रीय न्यायालयों और जिला में विभाजित किया गया है। आपराधिक न्यायालयों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

- क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट न्यायालय (जिला स्तर) आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों से निपटते हैं।

5 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दक्षिण अफ्रीका में विशेष अदालतें भी हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करती हैं। ये अदालतें भी पदानुक्रमित स्वरूप (पैटर्न) में काम करती हैं। श्रम, भूमि दावों, कराधान, चुनावों आदि के क्षेत्रों में बुनियादी, निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण हैं। इन क्षेत्रों में भी उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर इस श्रेणी में निम्नलिखित न्यायालय हैं :

- श्रम न्यायालय और श्रम अपील न्यायालय;
- भूमि दावा न्यायालय;
- चुनावी न्यायालय;
- कर न्यायालय; और
- प्रतियोगिता अपील न्यायालय।

दक्षिण अफ्रीका में न्यायिक प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता न्यायालयों के प्रमुखों की बैठक है। वरिष्ठ न्यायालय अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ न्यायालयों के अध्यक्ष वर्ष में तीन बार न्यायिक नेताओं के रूप में मिलते हैं। इन बैठकों के दौरान आमतौर पर उठाए गए मामले न्यायिक प्रशासन की प्रभावशीलता, न्यायालयों की प्रणाली की दक्षता, न्यायपालिका में समावेशिता, दक्षिण अफ्रीका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित हैं।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी : (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में उच्चतम न्यायालय की आधारभूत विशेषताएं क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) चीनी न्यायापालिका की प्रकृति का वर्णन कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

3) दक्षिण अफ्रीका में न्यायिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

4.7 निष्कर्ष

इस इकाई में हमने ब्रिक्स (BRICS) देशों में न्यायिक व्यवस्था पर संक्षेप में विचार किया है। हमने देखा है कि इन सभी देशों में एक न्यायिक प्रणाली है जो किसी न किसी पदानुक्रमित स्वरूप (Pattern) पर काम करती है। दीवानी और आपराधिक मामलों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर के न्यायालय हैं। मध्यवर्ती स्तरों पर उच्च न्यायालय और क्षेत्रीय न्यायालय हैं और शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। इस पदानुक्रमित व्यवस्था में निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध अगले उच्च न्यायालयों

में अपील करने की एक प्रणाली है, जबकि उच्चतम न्यायालय के पास अंतिम अधिकार है। इन देशों में क्षेत्राधिकार के संबंध में एक उल्लेखनीय अंतर है। इन पांच देशों में से, तीन देश – ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका में देश के संविधान से संबंधित मुद्दों और विवादों से निपटने के लिए शीर्ष स्तर पर अलग संवैधानिक न्यायालय की व्यवस्था है। भारत और चीन में अलग–अलग संवैधानिक न्यायालय नहीं हैं। सभी ब्रिक्स देशों में विशेष न्यायालय और न्यायाधिकरणें की प्रणाली प्रचलित है।

4.8 शब्दावली

अपील अधिकर क्षेत्र : यह एक निचली अदालत या अन्य निचले न्यायाधिकरण के फैसले की समीक्षा करने, संशोधन करने और रद्द करने की अपीलीय अदालत की शक्ति है।

न्यायाधिकरण : यह एक अर्ध–न्यायिक संस्था की संद्रर्भित करता है, जिसके पास दावों या विवादों को न्याय करने, निर्णय लेने या निर्धारित करने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिये, भारत में केंद्रीय प्रशासिनक न्यायाधिकरण। यह न्याय तंत्र में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाता है।

4.9 संदर्भ लेख

Basu, D.D. (2019). *Introduction to the Constitution of India* (24th ed.). New Delhi, India: Lexis Nexis.

CATO Institute. Retrieved from https://www.cato.org/

China's Judicial System: People's Courts, Procuratorates, and Public Security. Retrieved from https://olemiss.edu/courses/pol324/chnjudic.htm

Government of Brazil. Retrieved from https://www.gov.br/mre/en

ICC Legal Tools Database. Retrieved from https://www.legal-tools.org/

Singh, S. & Singh, S. (2017). *Indian Administration*. Jalandhar, India: New Academic Publishing Co.

South African Judicial System. Retrieved from https://www.gov.za/about-government/judicial-system

Supreme Court of the Russian Federation. Retrieved from http://www.supcourt.ru/en/judicial_system/overview/

The National People's Congress of the People Republic of China. Retrieved from http://www.npc.gov.cn/englishnpc/

The South African Judiciary. Retrieved from https:www.judiciary.org.za

4.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- ब्राजील में दो शीर्ष न्यायालय हैं – न्याय का उच्चतम न्यायालय और न्याय का वरिष्ठ न्यायालय जिसके बाद क्षेत्रीय न्यायालय हैं।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- भाग 4.3 का अध्ययन कीजिये।

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- भाग 4.4 का अवचयन कीजिये।

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- भाग 4.5 का अध्ययन कीजिये।

3) आपके उत्तर में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- भाग 4.6 का अध्ययन कीजिये।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY